

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

103/2011
18.03.2011

श्रीमति प्रभा देवी पत्नि मोतीलाल मेहरा जाति कीर निवासी दूनी तहसील देवली जिला
टोंक राज0

बनाम

..... प्रार्थीया

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक प्रार्थीया
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 26.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम मूण्डयाखुर्द तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1023 में से 400 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीया सडक से सटी हुई भूमि एवं सिंचित भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं और भूमि पर लगे हुए पेड-पोधो का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अवार्ड 2047/09 दिनांक 28.06.2010 को निरस्त कर सडक से सटी हुई भूमि, सिंचित भूमि एवं पेड-पोधो का मुआवजा दितवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 2047/09 दिनांक 28.06.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।



- 769 -



आई0ट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)



अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस माने जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीया की भूमि ख0न0 1023 में से कुल रकबा 400 वर्गमीटर वाके ग्राम मूण्डया खुर्द में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीया को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बजड राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, प्रार्थीगण की भूमि सडक से सटी हुई नहीं है और ना ही भूमि पर पेड-पोधे हैं तथा सिंचित भी नहीं थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीया व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/लिखित बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख0न0 1023 में से 400 वर्गमीटर, किस्म जमीन बजड वाके ग्राम मूण्डया खुर्द का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सडक से सटी हुई भूमि, भूमि पर लगे हुए पेड-पोधो तथा सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद में कोई साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
आर्वाइवेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)